

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०- 17/विविध 1-140/2024

पटना, दिनांक- / / 2025

डा० कौशल कुमार, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), यूरोलॉजी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को बिहार सेवा संहिता के नियम-78(क) (2) के आलोक में नये पद (सहायक प्राध्यापक) पर नियुक्ति के उपरान्त पूर्व पद (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी) पर प्राप्त वेतन रु० 96,900/- (छियानवे हजार नौ सौ) को वेतन स्तर-11 में संरक्षित करते हुए निम्नवत वेतनमान अनुमान्य किया जाता है :-

(i) रु० 96,900/- (छियानवे हजार नौ सौ) का प्रक्रम नये पद (सहायक प्राध्यापक), वेतन स्तर-11 में उपलब्ध नहीं है। अतः इससे ठीक नीचे का प्रक्रम रु० 96,600/- (छियानवे हजार छः सौ) में वेतन निर्धारित होगा तथा दोनों वेतनों के अंतर राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन इन्हें अनुमान्य होगा।

(ii) डा० कुमार के अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि-01.01.2025 होगी।

2 उक्त में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :- 17/विविध 1-140/2024- 09(17) पटना, दिनांक :- 01/01/2025

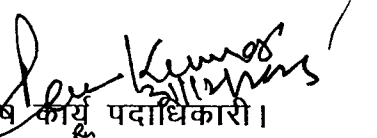
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० कौशल कुमार, सहायक प्राध्यापक (मूल कोटि), यूरोलॉजी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।